


4. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित इडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित इडा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मट में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मट में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
7. उक्त प्रायोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित इडा का होगा।
8. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
9. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित इडा इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सुचित किया जायेगा।
10. उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई का अवमुक्त करने से पूर्व सूडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजनाओं के आग्रणनों का गठन वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 04.04.2008 के अनुरूप है तथा उसमें कार्य विशेष की लागत सीमा को कम करने के उद्देश्य से अथवा प्रायोजना के स्कोप को कम करके अथवा प्राविधानों को कम करके लागत आंकित नहीं की गई है।
11. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विरावृति/पुनरावृति न हो, यह सूडा/इडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
12. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा सचिव/प्रमुख सचिव तथा विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
13. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाऊचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
14. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।

15. सेन्टेज चार्जज (अधिष्ठान व्यय) की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 में जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के क्रम में सुसंगत लेखा शीर्ष में जमा किया जायेगा।
16. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2017 तक व्यय हो सके।
2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-37 में योजनान्तर्गत प्रस्तावित बजट में उपलब्ध धनराशि से लेखाशीर्षक “2217-शहरी विकास-आयोजनागत-04-गन्दी बस्तियों का विकास-051-निर्माण-03-मलिन बस्तियों तथा अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में सी0सी0 रोड/इण्टरलाकिंग त्रथा नाली” आदि का निर्माण-00-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान” के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय जाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.2016 तथा समय-समय पर प्राप्त निर्देशों के तहत जारी किये जा रहे हैं।
- संलग्नक - यथोक्त।

भवदीय,

 (एच0पी0 सिंह)
 विशेष सचिव।

संख्या- 615 /2016/1886(1)/69-1-16. तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, ३०प्र०,२० सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, ३०प्र०, इलाहाबाद।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, ३०प्र०, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
4. सचिव, नगरीय रोजगार एवं ग्रामीण उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, ३०प्र० शासन।
5. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उन्नाव।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-४, ३०प्र० शासन।
7. नियोजन अनुभाग-४, ३०प्र० शासन।
8. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, ३०प्र०, लखनऊ।
10. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
11. मार्ड फांडल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,


 (एच0पी0 सिंह)
 विशेष सचिव।

शासनादेश संख्या- 615 /2016/1886(1)/69-1-16-68(अ0सं0-37)/2016, दिनांक २७ सितम्बर,
2016 का संलग्नक।

(धनराशि लाख रु० में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	निकाय/ नगर पंचायत का नाम।	बस्ती/वार्ड का नाम/कार्य का विवरण।	परियोजना की कुल लागत।	प्रथम किश्त (50 प्रतिशत) के रूप में स्वीकृति की जाने वाली धनराशि।
1	2	3	4	5	6
1.	उन्नाव	न०पं० मोहन	वार्ड सं० 07 के मो० खुर्दमोहन में मुन्ना बेहना के मकान से रईस के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य।	4.73	2.365
2.	तदैव	तदैव	वार्ड सं० 05 के मो० आजाद नगर में नन्हे के मकान से रमेश के मकान होते हुए राजाराम के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य।	18.03	9.015
3.	तदैव	तदैव	वार्ड सं० 11 के मो० जवाहर नगर में शकील के मकान से जुबले के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य।	4.59	2.295
4.	तदैव	तदैव	वार्ड सं० 08 के मो० पकरा में राथे रावत के मकान से सलीम के मकान तक काशी के मकान से गंगा राम व गेंदा रावत के मकान होते हुए शाकिब के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य।	27.33	13.665
5.	तदैव	तदैव	वार्ड न०-१० के मो० अगबरी गेट में मोहन मलिहाबाद रोड से रईश कुरैशी वाया कन्या पाठशाला एवं कल्लू के मकान तक इंटरलाकिंग रोड एवं नाली का निर्माण कार्य।	29.97	14.985
6.		न०पा०प० बांगरमऊ	वार्ड नं०-०९ के मोहल्ला धोबियाना से माधौपुर चौराहा से गुलाब टेन्ट के घर तक इंटरलाकिंग रोड व यू-टाइप नाली का निर्माण कार्य।	23.97	11.985
7.		तदैव	वार्ड सं०-१२ के मोहल्ला भटपुरी में हाजी नसीम के घर से अकबर हुसैन के घर तक इंटरलाकिंग व यू टाइप नाली का निर्माण कार्य।	24.37	12.185
8.		न०पं० औरास	वार्ड नं०-०६ के मोहल्ला ठाकुराना में मुन्ना फकीर के मकान से मो० अनवर के घर तक इंटरलाकिंग रोड व नाली निर्माण एवं अजीज के घर से सिराज के घर तक नाला का निर्माण कार्य।	36.36	18.18
9.		न०पा०प० बांगरमऊ	वार्ड सं०-१२ के मो० भटपुरी में सोहनलाल गुप्ता के घर से श्याम् जायसवाल के घर होते हुए डाक्टर	28.11	14.055

			याकूब के घर तक इंटरलाकिंग रोड व यू-टाइप नाली का निर्माण कार्य।		
10.		तदैव	वार्ड सं0-03 मोहल्ला कटरा में डां निहाल के घर से कमाल के घर तक इंटरलाकिंग रोड व यू-टाइप नाली का निर्माण कार्य।	30.19	15.095
11.		तदैव	वार्ड सं0-08 मोहल्ला कस्बा टोला में हरदोई उन्नाव रोड से इमाम चौक तक इंटरलाकिंग और यू-टाइप नाली निर्माण कार्य।	36.29	18.145
योग				263.94	131.97

(रुपये एक करोड़ इकतीस लाख सत्तानवे हजार मात्र)।

shpsh
(एच०पी० सिंह)
विशेष सचिव।